दूरभाष –(कार्यालय) 05942-247895
Email— eecd.btl@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियंता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल (नैनीताल)।

पत्रॉक 779 / 121 / 15 दिनॉक 22/03/22

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

प्रेषण का माध्यम	
डाक	√

विषय– **विकासखण्ड भीमताल की देवीधुरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण प्रस्तावों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1867/12–1 दिनांक 23.12.2021 द्वारा देवीधुरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण प्रस्तावों में कतिपय आपत्तियॉ/कमियॉ इंगित की गई है। आपत्तियॉ का निम्नानुसार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0 स0	आपत्तियॉ/कमियॉ	निराकरण
1	प्रस्ताव में विभिन्न स्थानों पर योजना के निर्माण हेतु क्षेत्रफल अलग–अलग अंकित किया गया है।	टंकण त्रुटि के कारण क्षेत्रफल में भिन्नता थी, जिसे ठीक कर दिया गया है।
2	वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट के प्रमाण पत्र में क्षेत्रफल 0.3326 है वन भूमि प्रदर्शित की गयी है, जिसके अनुरूप ही लीज रेन्ट की दर निकाली गयी है, जबकि आपके प्रस्ताव में कुल वन भूमि 0.3627 है प्रभावित हो रही है।	संशोधन कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में वृक्षारोपण हेतु कोई भी प्राक्कलन नहीं लगाया गया है, जबकि प्रस्ताव में रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण/100 वृक्षों की योजना लगायी जानी है।	प्राक्कलन संलग्न कर दिया गया है।
4	प्रारूप–50 जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन किया गया है, उसमें वन भूमि का क्षेत्रफल 0.3525 है दिखाया गया है तथा उसी के अनुरूप एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन किया गया है, जबकि वास्तविक क्षेत्रफल 0.3627 है।	संशोधन कर दिया गया है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 22/3/22

(जी0एस0तोमर)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता।

(हस्ताक्षर) 22/3/22

अधिशासी अभियन्ता

d:\new\d drive\bhatt sir\frst ltr\letter forest.doc